माननीय न्यायमूर्ति एस.एस. सरोन और दर्शन सिंह के समक्ष

नफे सिंह @ बॉबी-अपीलकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य - प्रतिवादी

सीआरए-डी नंबर 946-डीबी ऑफ 2009

मार्च 10, 2017

भारतीय दंड संहिता, 1860 – धारा 302 – मकसद महत्वहीन – प्रत्यक्ष साक्ष्य – मृतक पत्नी ने पति अपीलकर्ता/अभियुक्त को शराब पीने से रोका – पिटाई का नेतृत्व किया, जान से मारने की धमकी दी – अभियुक्त/अपीलकर्ता ने उस पर तेज धार वाले हथियार से हमला किया – मौके पर ही मौत – विवाद – मकसद स्थापित नहीं हुआ – सारहीन – अपराध को स्थापित करने के लिए भारी सबूत – दिल और दिमाग में छिपा मकसद – जब प्रत्यक्ष प्रमाण हो, मकसद तुच्छता में फीका पड़ जाता है।

यह अभिनिर्धारित किया कि, अपीलकर्ता के विद्वान वकील का दूसरा तर्क यह है कि अपीलकर्ता के लिए अपनी पत्नी स्नेहलता की हत्या करने का कोई मकसद नहीं था। मकसद, जैसा कि सर्वविदित है, अपराधी के दिल और दिमाग में छिपा होता है और यह पता लगाना मुश्किल है कि जब उसने आपराधिक कृत्य किया तो व्यक्ति के दिल और दिमाग में क्या था। केवल अपराधी ही जानता है कि उसने एक विशेष तरीके से क्यों और कैसे कार्य किया। वर्तमान मामले जैसे मामले में, जहां प्रत्यक्ष सबूत हैं, मकसद एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाएगा। मकसद को आसपास की परिस्थितियों से आंका जाना है जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध हैं। जब प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं, तो मकसद महत्वहीन हो जाता है।

(पैरा 44)

आगे अभिनिर्धारित किया कि, रिकॉर्ड पर साक्ष्य जिसमें शिकायतकर्ता - बनारसी (PW5), उसके भतीजे सुभाष (PW11) और प्रत्यक्षदर्शी कर्मा (PW7) का बयान शामिल है; इसके अलावा, डॉ. जगतार सिंह (PW3) का हलफनामा Ex. P5 जिसमें अपीलकर्ता द्वारा अपनी पत्नी - स्नेहलता को दी गई चोटों के कारण मृत्यु के कारण और अपीलकर्ता के प्रकटीकरण बयान (Ex. P21) पर 'गंडासी' (Ex. P13) की बरामदगी और FSL रिपोर्ट (Ex. PX) 'गंडासी' पर रक्त के सीरोलॉजिकल विश्लेषण के साथ जो मानव होने के लिए बरामद किया गया था, का उल्लेख करता है, स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता के अपराध को स्थापित करने के लिए जाता है और उसने अपनी पत्नी - स्नेहलता की हत्या की है। इन परिस्थितियों में, निर्णय और व्यवस्था को खारिज करने के लिए कोई सामग्री नहीं है

विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, करनाल ने अपीलार्थी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

(पैरा 45)

अपीलकर्ता के वकील सुखदीप परमार।

प्रतिवादी के लिए एसएस पन्नू, डीएजी, हरियाणा।

एस.एस. सरोन, न्यायमुर्ति

(1) यह अपील नफे सिंह @ बॉबी (अपीलकर्ता) द्वारा दिनांक 16.09.2009 के दोषसिद्धि के निर्णय और विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, करनाल द्वारा पारित दिनांक 18.09.2009 के आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता ('आईपीसी'- संक्षेप में) की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है; इसके अलावा, 5,000/- रुपए का जुर्माना अदा करना और उसका भुगतान न करने पर एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।

(2) इस मामले में दिनांक 24.07.2008 को थाना सदर करनाल के पुंड्रक गांव निवासी बनारसी (पीडब्लू 5) पुत्र नेकी राम के बयान (पूर्व पी 15) पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता के मुताबिक वह गांव पुंडरक का रहने वाला है और मजदूरी करता है। उनका एक बेटा है और उनकी एक बेटी है जिसका नाम स्नेहलता (मामले में मृतक) है। उनकी बेटी - स्नेह लता, 28 वर्ष की आयु में, लगभग दस साल पहले नफे सिंह @ बॉबी (अपीलकर्ता) के साथ शादी हुई थी। उनकी बेटी के दो बेटे और एक बेटी थी। आरोप है कि उसका दामाद नफे सिंह (अपीलकर्ता) अक्सर शराब का सेवन करता था और जब उसकी बेटी उसे शराब पीने से रोकती थी, तो वह उसे पीटता था; इसके अलावा, उसने उसे जान से मारने की धमकी दी। उनकी बेटी ने इस संबंध में उनसे शिकायत की थी। उन्होंने अपने दामाद को भी समझाने की कोशिश की थी। आरोप है कि उसकी उपस्थिति में भी नफे सिंह (अपीलकर्ता) ने अपनी बेटी स्नेहलता को जान से मारने की धमकी दी।

(3) उनके बयान देने से एक दिन पहले, यानी 23.07.2008 को लगभग 09:00 बजे, शिकायतकर्ता को टेलीफोन पर सूचना मिली कि उसकी बेटी स्नेहलता को नफे सिंह (अपीलकर्ता) ने घायल कर दिया था और उसे वहां बुलाया गया था। सूचना मिलने पर फरियादी व उसका भतीजा सुभाष (पीडब्लू 11) पुत्र जय सिंह निवासी पुण्ड्रक ग्राम बालू स्थित स्नेहलता के घर पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि उनके दामाद नफे सिंह (अपीलकर्ता) ने अपनी बेटी स्नेहलता को मारने के इरादे से एक तेज धार वाले हथियार के साथ

उसके होंठों के ऊपर और उसके गाल के बाईं ओर दाईं ओर गहरी चोटें पहुंचाई थीं और उसे मार डाला था। शिकायतकर्ता ने अपने आप को पूरी तरह से संतुष्ट किया कि नफे सिंह (अपीलकर्ता) ने अपनी बेटी द्वारा शराब पीने से रोके जाने पर उसे तेज धार वाले हथियार से मारने के इरादे से उसे घायल करके मार डाला था। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मामले की जानकारी देने में देरी हुई क्योंकि उस पर गांव बालू के निवासियों और रिश्तेदारों द्वारा दबाव डाला जा रहा था। उसने एसआई दिलबाग सिंह, पुलिस स्टेशन निसिंग (पीडब्लू 12) के समक्ष मौके पर अपना बयान दिया था, जिसे उसने अंगूठे से चिह्नित किया था और इसे 24.07.2008 को बाद में सत्यापित किया गया था। इसके अलावा एसआई दिलबाग सिंह (पीडब्लू 12) ने पुलिस कार्यवाही को रिकॉर्ड किया (पूर्व पृ. 18)।

(4) पुलिस कार्यवाही (पूर्व पी 18) इस आशय की थी कि 24.07.2008 को पुलिस स्टेशन निसिंग में एक टेलीफोन संदेश प्राप्त करने पर, वह (एसआई दिलबाग सिंह पीडब्लू 12) एएसआई राजबीर सिंह, एचसी सुरेंद्र सिंह, ईएचसी जगतार सिंह के साथ एक सरकारी वाहन नंबर पर एक टेलीफोन संदेश प्राप्त किया। कांस्टेबल रजनीश द्वारा संचालित एचआर 45 ए-0161 बालू गांव में घटना स्थल पर पहुंचा। वहां बनारसी -

शिकायतकर्ता (पीडब्लू 5) उनसे मिले और उन्होंने अपना बयान (पूर्व पी 15) दर्ज किया जो लिखित रूप में कम हो गया और उन्हें पढ़ा गया। उसे उसके बयान को समझने के लिए बनाया गया था और उसने (शिकायतकर्ता) इसे सही स्वीकार करने के बाद अपने अंगूठे के निशान लगाए, जिसे एसआई दिलबाग सिंह (पीडब्लू 12) द्वारा सत्यापित किया गया था। शिकायतकर्ता के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध किया गया है। इसी के अनुसार कांस्टेबल जगतार सिंह के माध्यम से थाने में 'रुक्का' (मेमो) भेजा जा रहा था। मामला दर्ज होने के बाद इसका नंबर बताने को कहा गया था। एसआई दिलबाग सिंह (पीडब्लू 12) उनके साथ मौजूद अधिकारियों के साथ मौके पर व्यस्त थे। विशेष रिपोर्ट के माध्यम से सूचना भेजने के लिए कहा गया था और एसएचओ को भी तदनुसार सूचित करने के लिए कहा गया था। पुलिस कार्यवाही (पूर्व पी 18) एसआई दिलबाग सिंह (पीडब्लू 12) द्वारा 24.07.2008 को लगभग 12:10 बजे ग्राम बालू में दर्ज की गई थी।

(5) पुलिस स्टेशन में, बलवान सिंह एएसआई (पीडब्लू 8) ने एफआईआर (पूर्व पी 19) दर्ज की और उन्होंने 'रुक्का' (मेमो) पर अपना समर्थन (पूर्व पी 20) किया कि डीडीआर नंबर 8 दिनांक 24.07.2008 के अनुसरण में दोपहर 12:30 बजे, धारा 302 आईपीसी के तहत अपराध के लिए मामला एफआईआर नंबर 164 दिनांक 24.07.2008 (पूर्व पी 19) पुलिस स्टेशन निसिंग में दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद एएसआई बलवान सिंह (पीडब्लू 8) ने जांच अधिकारी को फाइल भेजी, साथ ही मामले की विशेष रिपोर्ट ईएचसी कृष्ण कुमार के माध्यम से उच्चाधिकारियों को भेजी गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करनाल द्वारा दिनांक 24.07.2008 को अपराह्न 02:50 बजे ईएचसी कृष्ण कुमार के माध्यम से प्राथमिकी प्राप्त की गई।

(6) एसआई दिलबाग सिंह (पीडब्लू 12) ने मौके पर फोटोग्राफर (पीडब्लू 1) एचसी राज कुमार को बुलाया। उसने घटना स्थल की तस्वीरें लीं। एसआई दिलबाग सिंह (पीडब्लू 12) द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता ('सीआरपीसी' - संक्षेप में) की धारा 174 के संदर्भ में पूछताछ की कार्यवाही (पूर्व पी 7) की गई थी। घटना स्थल की रफ साइट योजना (पूर्व पी 26) तैयार की गई थी। मृतक स्नेहलता का एक 'चुन्नी' (घूंघट) (पूर्व एमओ - 1) खून से सना हुआ था जो शव के पास पड़ा था, उसे पार्सल में बदल दिया गया और 'डीएस' की मुहर के साथ सील कर दिया गया। इसे मेमो पूर्व पी 25 के माध्यम से कब्जे में लिया गया था। उपयोग के बाद सील जय सिंह के पुत्र सुभाष (पीडब्लू 11) को सौंप दी गई। ज्ञापन पर सुभाष (पीडब्लू 11) और जय पाल ने हस्ताक्षर किए थे। एसआई दिलबाग सिंह (पीडब्लू 12) ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने सीआरपीसी की धारा 161 के संदर्भ में गवाहों के बयान दर्ज किए। इसके बाद स्नेहलता का शव उसके माता-पिता और एचसी सुरेंद्र को सौंप दिया गया, ताकि जनरल अस्पताल, करनाल में पोस्टमार्टम किया जा सके। पोस्टमार्टम के बाद एचसी सुरेंद्र सिंह ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाला पार्सल और मृतक के कपड़े को छह मुहरों वाली सील 'जेएस' के साथ विधिवत सील करके एसआई दिलबाग सिंह (पीडब्लू 12) को सौंप दिया। इसे मेमो एक्स. पी27 के तहत पुलिस के कब्जे में ले लिया गया, जिस पर एसआई दिलबाग सिंह (पीडब्लू 12) और एचसी सुरेंद्र सिंह के हस्ताक्षर थे। केस प्रॉपर्टी एमएचसी के पास जमा कराई गई थी और ईएचसी कृष्ण कुमार का बयान दर्ज किया गया था।

(7) नफे सिंह (अपीलकर्ता) को एसआई इलम सिंह (पीडब्लू 13) ने 25.07.2008 को गिरफ्तार किया था। एसआई/एसएचओ इलम सिंह (पीडब्लू 13) के अनुसार, वह एएसआई राजबीर और एएसआई बलवान सिंह के साथ सतपाल द्वारा संचालित एक सरकारी वाहन में 25.07.2008 को बालू गांव पहुंचे। जब वे गांव बुदनपुर के टर्निंग प्वाइंट के पास पहुंचे, तो गांव के सरपंच सोहन सिंह ने नफे सिंह (अपीलकर्ता) को पेश किया। नफे सिंह (अपीलकर्ता) से पूछताछ की गई और उसने 23.07.2008 को हुई घटना के संबंध में एक प्रकटीकरण बयान दिया।

उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी स्नेहलता (मृतक) को घायल करने के लिए एक 'गंडासी' का इस्तेमाल किया, जिसे वह अपने आवासीय घर से बरामद कर सके। प्रकटीकरण बयान (Ex. P21) नफे सिंह @ बॉबी (अपीलकर्ता) और अन्य गवाहों द्वारा चिह्नित किया गया था जिसे SI इलम सिंह (PW13) द्वारा सत्यापित किया गया था। प्रकटीकरण बयान (पूर्व पी 21) के आधार पर, एसआई/एसएचओ इलम सिंह (पीडब्लू 13) के नेतृत्व में पुलिस टीम बालू गांव के पास पहुंची और नफे सिंह @ बॉबी (अपीलकर्ता) के सीमांकन पर, एक इस्तेमाल किया हुआ 'गंडासी' (पूर्व पी 13), जो लोहे के 'पेटी' (बॉक्स) के पीछे पड़ा था, उसके द्वारा उत्पादित किया गया था। उसी का एक स्केच (पूर्व पी 22) तैयार किया गया था जिसमें गवाहों के हस्ताक्षर हैं और एसआई/एसएचओ इलम सिंह (पीडब्लू 13) द्वारा सत्यापित किया गया था। 'गंडासी' (पूर्व पृ. 13) परिवर्तित हो गया

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसे पुलिस ने मेमो एक्स. पी. 23 के तहत अपने कब्जे में ले लिया। इसके उपयोग के बाद सील एएसआई बलवान सिंह (पीडब्लू 8) को सौंप दी गई। 'गंडासी' की बरामदगी के संबंध में साइट प्लान (पूर्व पी 28) तैयार किया गया था। गवाहों के बयान सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए। एसआई/एसएचओ इलम सिंह (पीडब्लू 13) ने उसी दिन केस प्रॉपर्टी को एमएचसी के पास जमा कर दिया और अपीलकर्ता को पुलिस लॉक-अप में डाल दिया गया।

(8) एसआई इलम सिंह (पीडब्लू 13) ने 11.08.2008 को चिकित्सा अधिकारी, जनरल अस्पताल, करनाल के समक्ष एक आवेदन (पूर्व पी 9) प्रस्तुत किया ताकि बरामद 'गंडासी' के बारे में राय प्राप्त की जा सके और क्या स्नेहलता के मुंह पर चोटें 'गंडासी' के कारण हो सकती हैं या नहीं। डॉक्टर ने अपनी राय दी (पूर्व पी 10), जो इस आशय का था कि स्नेहलता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिनांक 24.07.2008 में उल्लिखित चोटों की संभावना को इस हथियार से खारिज नहीं किया जा सकता था जो उनके सामने पेश किया गया था। हथियार मूल रूप में वापस कर दिया गया था।

(9) एएसआई राजबीर सिंह (पीडब्लू 10) और एएसआई बलवान सिंह (पीडब्लू 8) एसआई/एसएचओ इलम सिंह (पीडब्लू 13) के साथ वर्तमान मामले की जांच में शामिल हुए थे। उन्होंने अपीलकर्ता- नफे सिंह @ बॉबी की गिरफ्तारी के संबंध में गवाही दी है और साथ ही उस स्थान से 'गंडासी' (Ex.P13) की बरामदगी के बारे में भी गवाही दी है, जिसका खुलासा नफे सिंह @ बॉबी (अपीलकर्ता) द्वारा किया गया था।

(10) एसआई/एसएचओ इलम सिंह (पीडब्लू 13) ने सीआरपीसी की धारा 173 के संदर्भ में पुलिस रिपोर्ट ('चालान') तैयार की, जिसे 04.09.2008 को विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करनाल के न्यायालय में दायर किया गया था। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करनाल ने दिनांक 19.09.2008 के अपने आदेश के संदर्भ में कहा कि चूंकि आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए मामला तदनुसार सत्र न्यायालय के लिए प्रतिबद्ध था। अपीलार्थी को दिनांक 03.10.2008 को विद्वान सत्र न्यायाधीश, करनाल के समक्ष पेश करने का निदेश दिया गया।

(11) यह मामला विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, करनाल की अदालत को सौंपा गया था। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, करनाल ने दिनांक 25-10-2008 को इस आरोप पर दलीलें सुनीं। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। यह देखा गया कि आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है। तदनुसार, इस आशय का आरोप तय किया गया था कि अपीलकर्ता ने 23.07.2008 को

पुलिस स्टेशन निसिंग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बालू गांव के क्षेत्र में जानबूझकर स्नेहलता की मौत का कारण बनकर हत्या की और इस तरह अदालत के संज्ञान में धारा 302 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध किया। अपीलकर्ता, यह निर्देश दिया गया था, उक्त आरोप पर अदालत द्वारा मुकदमा चलाया जाए। आरोप अपीलकर्ता को सरल हिंदी में पढ़ा और समझाया था। अपीलकर्ता ने कहा कि उसने अपने खिलाफ लगाए गए आरोप को सुना और समझा है और उसने इसके लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमे का दावा किया।

(12) अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को स्थापित करने के लिए, तेरह गवाहों की जांच की; इसके अलावा, साक्ष्य में एफएसएल रिपोर्ट (पूर्व पीएक्स) सहित दस्तावेज प्रस्तुत किए।

(13) बनारसी (शिकायतकर्ता) पीडब्लू 5 के रूप में पेश हुए। उन्होंने कहा कि उनकी एक बेटी और एक बेटा है। उनकी बेटी स्नेहलता की शादी दस साल पहले नफे सिंह (अपीलकर्ता) के साथ हुई थी। उनकी बेटी के तीन बच्चे थे। यह कहा जाता है कि उनकी बेटी कुछ समय से आरोपी (अपीलकर्ता) के साथ खुशी से रह रही थी। आरोप है कि साढ़े तीन महीने पहले 18.11.2008 से करीब साढ़े तीन महीने पहले उन्हें अपनी बेटी की मौत की सूचना मिली थी। गांव में चर्चा थी कि शिकायतकर्ता के दामाद नफे सिंह @ बॉबी (अपीलकर्ता) ने स्नेहलता की हत्या कर दी है। बेटी की मौत की सूचना मिलने पर वह अपने भतीजे सुभाष (पीडब्लू 11) के साथ गांव बालू आया था। वह अपनी बेटी के घर पहुंचा तो उसे मृत पाया। उसका मुंह 'गंडासी' से काटा गया था। उसने पुलिस को एक बयान (Ex.P15) दिया, जिसमें उसके अंगूठे के निशान हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाया गया। उन्होंने अपनी पुत्री स्नेहलता का शव रसीद पूर्व पृष्ठ 16 के माध्यम से प्राप्त किया। यह कहा गया है कि उनकी बेटी ने कभी भी आरोपी (अपीलकर्ता) के आचरण के बारे में उनसे शिकायत नहीं की थी और न ही कभी सूचित किया था कि उसे आरोपी (अपीलकर्ता) द्वारा परेशान किया गया था। इस स्तर पर, विद्वान लोक अभियोजक ने अनुरोध किया कि गवाह (PW5) सच्चाई को दबा रहा था और उसे गवाह से जिरह करने की अनुमति दी जा सकती है। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, करनाल द्वारा इसकी अनुमति दी गई थी।

(14) विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जिरह में, बनारसी (PW5) द्वारा यह कहा गया है कि यह सही था कि उसने पुलिस को सूचित किया कि उसका दामाद नफे सिंह (अपीलकर्ता) एक शराबी था और जब वह उसे शराब पीने से रोकती थी तो वह शराब के प्रभाव में अपनी बेटी को पीटता था। यह भी सही कहा गया है कि उनकी बेटी ने उन्हें बताया कि आरोपी नफे सिंह (अपीलकर्ता) ने उसे शराब पीने से रोकने पर जान से मारने की धमकी दी थी। यह भी सही कहा गया है कि उसने (पीडब्लू 5) ने नफे सिंह (अपीलकर्ता) को मनाने की कोशिश की और उसकी उपस्थिति में भी आरोपी नफे सिंह (अपीलकर्ता) ने उसकी बेटी को मारने की धमकी दी थी। यह सही है कि उन्होंने पुलिस को सूचित किया कि 23.07.2008 को उन्हें लगभग 09:00 बजे जानकारी मिली कि आरोपी (अपीलकर्ता) ने उनकी बेटी को चोट पहुंचाई है। उन्होंने पुलिस को यह भी बताया कि नफे सिंह (अपीलकर्ता) जान से मारने की नीयत से उसके मुंह और गालों पर चोट पहुंचाई थी। यह सही है कि उसने पुलिस को सूचित किया कि नफे सिंह (अपीलकर्ता) ने स्नेहलता की हत्या कर दी जब उसने उसे शराब पीने से रोका। उसने पुलिस को यह भी बताया कि परिजनों के दबाव के कारण वह तुरंत रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सका।

(15) बचाव पक्ष के विद्वान वकील द्वारा जिरह में यह सही कहा गया है कि शुरुआत में आरोपी (अपीलकर्ता) ने स्नेहलता को अच्छी तरह से रखा। करीब आठ साल से स्नेहलता आरोपी (अपीलकर्ता) के साथ खुशी-खुशी रह रही थी लेकिन पिछले करीब दो साल से उसे परेशान किया जा रहा था। वह (पीडब्लू 5) यह नहीं बता सका कि आरोपी (अपीलकर्ता) उसकी बेटी को क्यों परेशान कर रहा था। उनकी बेटी अक्सर उनसे मिलने आती थी। यह भी कहा गया है कि आरोपी (अपीलकर्ता) स्नेहलता की मृत्यु से पहले पिछले दो वर्षों से उसके साथ बात नहीं कर रहा था। इससे

पहले, उनके संबंध सौहार्दपूर्ण थे। उसने आरोपी (अपीलकर्ता) को शराब का सेवन करते कभी नहीं देखा था। उनकी बेटी ने उन्हें कभी नहीं बताया कि आरोपी (अपीलकर्ता) ने उन्हें पीटा है। अभियुक्त (अपीलकर्ता) को राजी करने के लिए कभी कोई पंचायत नहीं बुलाई गई। आरोपी (अपीलकर्ता), यह कहा जाता है, एक मजदूर था। उनके पास रिहायशी मकान के अलावा कोई जमीन नहीं थी। उनके आवास पर टेलीफोन नहीं था। उसके पड़ोसी कृष्ण के घर पर टेलीफोन था। वह टेलीफोन नंबर नहीं बता सका। कृष्ण उनके भाई थे। उनके आवास पर पिछले चार-पांच साल से टेलीफोन है। स्वेच्छा से कहा कि उसके पास एक मोबाइल फोन है। उन्हें घटना की सही तारीख याद नहीं थी। वह यह नहीं बता सके कि कृष्ण को टेलीफोन पर किसने सूचित किया। उन्होंने टेलीफोन कॉल रिसीव नहीं की। कृष्ण ने इसे लगभग 08/08:30 बजे प्राप्त किया। ऐसा कहा जाता है कि बालू पुण्ड्रक गांव से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर है। वह और सुभाष (पीडब्लू 11) मोटरसाइकिल पर बालू गांव पहुंचे। सुभाष (PW11) मोटरसाइकिल चला रहा था। यह कहा जाता है कि घटनास्थल पर आरोपी (अपीलकर्ता) शव के पास मौजूद था। कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था। स्नेहलता के बच्चे मौजूद नहीं थे। उन्होंने अगले दिन बच्चों से मुलाकात की। बताया जाता है कि उनके पहुंचने के बाद कई लोगों ने इकट्ठा किया। जब वह नफे के घर पहुंचा तो दरवाजा बंद था और शव 'बरामदा' में पड़ा था। यह बाहर की गली से दिखाई नहीं दे रहा था। घटना के अगले दिन सुबह करीब 8:00 बजे पुलिस आई थी। पुलिस के आने के बाद फोटो खींचकर लेखन का अन्य काम किया गया। जब पुलिस पहुंची, तो यह कहा गया कि नफे सिंह (अपीलकर्ता) मौजूद था। मौके पर कई ग्रामीण जमा हो गए थे। वह (PW5) उनके नाम नहीं बता सका। उनकी तरफ से कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं था। उन्होंने (पीडब्लू 5) स्वेच्छा से कहा कि आरोपी (अपीलकर्ता) के रिश्तेदारों की ओर से उन पर दबाव था। उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी। वह मजदूर था। उनका (PW5 का) बेटा एक छात्र था। वह परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। यह कहना गलत कहा जाता है कि वह अक्सर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अपनी बेटी से पैसे उधार लेता था और घटना के दिन, वह पैसे मांगने के लिए अपनी बेटी के पास गया था। आगे यह कहना गलत बताया गया है कि जब वह अपनी बेटी के घर पैसे मांगने के लिए पहुंचा, तो उसने उसे मृत पाया और उसने आरोपी (अपीलकर्ता) को उससे पैसे निकालने के लिए झूठा फंसाया।

(16) सुभाष (PW11), जो शिकायतकर्ता - बनारसी (PW5) के साथ आया था, ने बनारसी (PW5) के बयान की पुष्टि की और उसने उसी तर्ज पर गवाही दी। बचाव पक्ष के वकील द्वारा उनसे जिरह की गई, हालांकि, ऐसा कुछ भी नहीं सामने लाया जा सका जो अपीलकर्ता - नफे सिंह की मदद कर सके।

(17) अभियोजन पक्ष ने डॉ. जगतार सिंह, चिकित्सा अधिकारी, जनरल अस्पताल, करनाल (पीडब्लू 3) की जांच की। उन्होंने साक्ष्य में अपना शपथ पत्र पूर्व पी 5 प्रस्तुत किया। हलफनामे में, डॉ जगतार सिंह (पीडब्लू 3) द्वारा यह गवाही दी गई है कि वह 24.07.2008 को जनरल अस्पताल, करनाल में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे। उक्त दिन उन्होंने पुलिस के अनुरोध (पूर्व पी6) डॉ. राकेश मित्तल के साथ गांव बालू निवासी नफे सिंह की पत्नी स्नेहलता के शव का पोस्टमार्टम किया। पुलिस द्वारा जांच रिपोर्ट (पूर्व पी 7) प्रस्तुत की गई थी। शव को एचसी सुरेंद्र सिंह लेकर आए थे। दिखने से उसकी उम्र 28-30 साल थी। मृत शरीर में एक 'सलवार' (Ex. P11) और 'कामिज' (Ex. P12) थी, दाहिनी कलाई पर चूड़ियाँ थीं जो संख्या में बारह और बाईं कलाई पर ग्यारह थीं। बाईं कलाई पर एक धातु का 'कारा' था। जगह-जगह 'कमीज' पर खून का थक्का पड़ा था। दोनों की आंखें बंद थीं। मुंह से झाग निकल रहा था। चारों अंगों से कठोर मोर्टिस मौजूद था। स्नेहलता के मृत शरीर पर निम्नलिखित चोटें देखी गईं: -

"1. दाहिने नथुने से शुरू होने वाले ऊपरी होंठ के दाईं ओर 9 x 1 सेमी का एक घाव हुआ, जो हड्डी के फ्रैक्चर के नीचे विच्छेदन पर क्षैतिज रूप से दाएं मध्ययुगीन क्षेत्र की ओर रखा गया था।

2. मुंह के बाएं कोण से शुरू होने वाले गाल के बाईं ओर 7 x 3 सेमी का घाव क्षैतिज रूप से बाएं जबड़े क्षेत्र की ओर जा रहा है, जिसमें ऊतकों, मांसपेशियों, नसों और वाहिकाओं को काट दिया गया था। खून का थक्का मौजूद था।

3. चोट नंबर 2 के नीचे एक घर्षण 7 x 0.2 सेमी मौजूद है।

4. गर्दन के बाईं ओर 12 x 0.3 सेमी ऊपर 2.5 सेमी घर्षण

मध्य हंसली।

(18) डॉक्टरों की राय (पूर्व पी 10) में, इस मामले में मृत्यु का कारण रक्तस्राव, आकांक्षा के कारण श्वासावरोध था। सभी चोटें मृत्यु पूर्व प्रकृति की थीं और सामान्य जीवन में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं। पोस्टमार्टम के बाद अच्छी तरह से सिले हुए शव, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति, डॉ. जगतार सिंह (पीडब्लू 3) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पुलिस कागजात, छह सील वाले कपड़े और सैंपल सील वाले पार्सल पुलिस को सौंप दिए गए। यह कहा गया है कि चोट और मृत्यु के बीच संभावित समय परिवर्तनशील था और मृत्यु और पोस्टमार्टम के बीच तीन से छत्तीस घंटे थे।

(19) अदालत में गवाही के दौरान, डॉ. जगतार सिंह (PW3) ने कहा कि 'सलवार' (Ex. P11) और 'कामिज' (Ex. P12) वही थे जिन्हें स्नेहलता के मृत शरीर से हटाया गया था और एक सीलबंद पार्सल में पुलिस को सौंप दिया गया था; इसके अलावा, 'गंडासी' (पूर्व पी 13), यह कहा गया है, वही था जो पुलिस द्वारा उन्हें दिखाया गया था जिसके संबंध में राय (पूर्व पी 10) दी गई थी।

(20) जिरह में डॉ. जगतार सिंह (पीडब्लू 3) ने कहा कि उन्हें याद नहीं है कि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की गई थी या नहीं। यह कहा जाता है कि मृत शरीर पर कठोर मोर्टिस स्थिर थे। कठोर मोर्टिस मृत्यु के पहले घंटे के भीतर शुरू होता है और यह मौसम, मृत्यु की परिस्थितियों और मृतक के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। गर्मियों में आमतौर पर गायब होने में 36 घंटे लगते हैं और सर्दियों में आमतौर पर गायब होने में 48 घंटे लगते हैं। भोजन को पचाने में 2-3 घंटे लगते हैं। यह कहा जाता है कि मृतक ने अपनी मृत्यु से लगभग दो घंटे पहले अपना भोजन लिया होगा। कपड़ों पर मल और मूत्र के निशान नहीं थे। उन्होंने सेंटीमीटर में चोट नंबर 1 और 2 की गहराई का उल्लेख नहीं किया। यह सही कहा गया है कि रक्तस्राव नंबर 1 और 2 की चोटों के कारण हुआ था; इसके अलावा, श्वासावरोध का परिणाम तब हुआ जब चोट नंबर 1 और 2 से रक्त ने श्वासनली को अवरुद्ध कर दिया। चोट नंबर 3 और 4 यह कहा गया है कि सरल थे। वह (PW3) चोट नंबर 1 और 2 के बीच सही समय भिन्नता नहीं बता सका। स्वरयंत्र, यह कहा जाता है, बरकरार था। यह कहना गलत बताया गया है कि चोट संख्या 1 और 2 मृतक की मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। यह संभव नहीं था कि मृतक के व्यक्ति को 23-07-2008 को प्रात 0800 बजे से 1000 बजे के बीच चोटें लगी थीं या नहीं। पुन कहा कि इसकी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। मृत्यु के बाद कटे हुए घावों में तब तक कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि सड़न शुरू न हो जाए। वह घायल होने के समय हमलावर के संबंध में मृतक की सही मुद्रा नहीं बता सका। यह सुझाव देना गलत बताया गया है कि होंठ और गाल पर चोट लगी है चेहरा मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त नहीं था। यह कहना भी गलत बताया गया है कि उन्होंने पुलिस के कहने

पर गलत राय दी थी। यह सही कहा गया है कि जिस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया था, उसका उल्लेख राय में नहीं किया गया था (उदा। यह कहना गलत बताया गया है कि वह झूठी गवाही दे रहा था।

(21) एफएसएल रिपोर्ट (पूर्व पीएक्स) के अनुसार, यह अन्य बातों के साथ-साथ उल्लेख किया गया है कि Ex.-1a (महिला की शर्ट), Ex.-1b (महिला की सलवार), Ex.-2 (दुपट्टा) खून के धब्बों से सना हुआ था; इसके अलावा, एक्स.-3 (गंडासी) पर रक्त का पता चला था। रक्त के सीरोलॉजिकल विश्लेषण का परिणाम संलग्न था। रक्त के सीरोलॉजिकल विश्लेषण के परिणाम के अनुसार, यह उल्लेख किया गया है कि महिला की शर्ट (Ex.1a), महिला 'सलवार' (Ex.1b) के संबंध में सामग्री विघटित हो गई थी। 'दुपट्टा' (Ex.2) और 'गंडासी' (Ex.3) पर रक्त की उत्पत्ति मानव थी। ब्लड ग्रुप बेनतीजा था।

(22) अभियोजन पक्ष ने बली राम के पुत्र कर्मा (पीडब्लू 7) से भी पूछताछ की, जिसका घर नफे सिंह (अपीलकर्ता) के घर से सटा हुआ है। उनके अनुसार, उन्होंने आरोपी (अपीलकर्ता) को अपने घर और अपीलकर्ता के बीच की दीवार को देखकर अपनी पत्नी स्नेहलता को घायल करते देखा। उसने (अपीलकर्ता) स्नेहलता के मुंह और गालों पर मारा। शोर सुनकर अन्य पड़ोसी भी मौके पर पहुंच गए।

(23) अपीलकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपने बयान में कहा कि वह निर्दोष है। झूठी कहानी गढ़कर पैसे ऐंठने के लिए शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस के साथ-साथ गवाह कर्मा (PW7) पुत्र बली राम और सुभाष (PW11) की मिलीभगत से उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया था।

(24) अपीलकर्ता के अनुसार, वास्तविक तथ्य यह थे कि बनारसी दास - शिकायतकर्ता (PW5) एक गरीब व्यक्ति था और वह समय-समय पर उससे पैसे उधार लेता था। इस उद्देश्य के लिए, वह (PW5) अक्सर उनके घर आता था। कई बार, वह (PW5) अपने घर पर एक सप्ताह या उससे अधिक समय तक रहा। शिकायतकर्ता बनारस (पीडब्लू 5) के इस आचरण के कारण उनकी (अपीलकर्ता की) पत्नी स्नेहलता खुश नहीं थीं। कथित घटना के दिन सुबह लगभग 06:30 बजे, वह (अपीलकर्ता) श्रम कार्य के लिए अपने घर से निकला था। उन्हें दोपहर करीब 3:30 बजे सूचना मिली कि किसी ने सुबह करीब 10:30 बजे उनके सोने के कान के छल्ले छीनने के लिए उनकी पत्नी स्नेहलता पर तेज धार वाले हथियार से हमला कर दिया। हमला बालू के सरकारी स्कूल के पास हुआ। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। अपने घर पहुंचने से पहले, उसकी पत्नी चोटों के कारण समाप्त हो गई थी और उसके ससुर बनारसी (PW5) वहां मौजूद थे। कुछ लोग वहां जमा हो गए थे। उस समय, बनारसी (PW5) ने 50,000/- रुपये की मांग की उससे और धमकी दी कि अगर वह ऐसा नहीं करता है, तो वह उसे झूठे हत्या के मामले में शामिल कर लेगा। उसने (अपीलकर्ता) उससे (शिकायतकर्ता) अनुरोध किया कि उसे तीन छोटे बच्चों और बूढ़ी बूढ़ी माँ का समर्थन करना है और वह अपनी अवैध मांग को पूरा करने में असमर्थ है, लेकिन वह (शिकायतकर्ता) अड़ा रहा और पुलिस और गवाहों के साथ मिलीभगत में उसे झूठा फंसाया। उसके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ।

(25) बचाव में, अपीलकर्ता ने उसकी मां मेशर देवी (DW1) से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि उनके बेटे नफे सिंह के तीन बच्चे हैं, यानी दो बेटियां और एक बेटा। वह (अपीलकर्ता) हर रोज सुबह लगभग 5.00-6.00 बजे श्रम कार्य के लिए घर से निकलता था। उनकी बहू स्नेहलता (मृतक) सुबह लगभग 10:30 बजे स्कूल के पास एक दुकान से खरीदारी करने गई थी। कुछ अज्ञात लोगों ने उसके शरीर और चेहरे पर चोट के निशान बताए थे। जब कुछ स्कूली बच्चे उसे (डीडब्ल्यू 1) सूचित करने आए कि उसकी बहू स्कूल के पास घायल पड़ी है, तो उसने स्नेहलता को अस्पताल ले जाया लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। वह उसे वापस ले आई। दोपहर में उसके (स्नेहलता के) पिता बनारसी (पीडब्लू 5) भी

पहुंच गए। उनका बेटा नफे सिंह (अपीलकर्ता) भी लगभग 05:00 बजे पहुंचा। उसके (स्नेहलता के) पिता ने 50,000 रुपये की मांग की। वह (डीडब्ल्यू 1) और उसके बेटे ने निवेदन किया कि वे राशि का भुगतान करने में असमर्थ थे।

(26) आगे कहा गया है कि वर्तमान मामला बनारसी ने पुलिस की मिलीभगत से दर्ज कराया था। कर्मा (पीडब्लू 7), यह कहा जाता है, पार्टी गुट के संबंध में अपने बेटे के लिए शत्रुतापूर्ण था। उनका बेटा सरपंच चुनाव में उम्मीदवार का समर्थन कर रहा था, जिसका कर्मा (पीडब्लू 7) विरोध कर रहा था। इन सभी लोगों ने साजिश रची और उसके बेटे के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया।

(27) जिरह में मेशर देवी (डीडब्ल्यू 1) ने कहा कि यह कहना गलत था कि उनका बेटा नफे सिंह शराब का आदी था। यह सुझाव देना भी गलत है कि स्नेहलता को उसके बेटे नफे सिंह (अपीलकर्ता) द्वारा पीटा जाता था। आगे यह कहना गलत है कि स्नेहलता की मृत्यु 23.07.2008 को नफे सिंह (अपीलकर्ता) द्वारा की गई चोटों के कारण हुई थी। आगे यह कहना गलत बताया गया है कि बनारसी (शिकायतकर्ता) ने उनसे कभी भी 50,000 रुपये की मांग नहीं की। यह कहना भी गलत है कि मामला वास्तविक था और कर्मा (PW7) ने भी इस घटना को देखा था।

(28) विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, करनाल ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों और सामग्री पर विचार करने के बाद अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई; इसके अलावा, 5,000/- रुपए का जुर्माना अदा करें और उसका भुगतान न करने पर एक वर्ष की अवधि के कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।

(29) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि यह एक ऐसा मामला है जहां अपीलकर्ता को झूठा फंसाया गया है। मेशर देवी (डीडब्ल्यू 1) के बयान का संदर्भ दिया गया है, जिन्होंने कहा कि घटना के दिन, आरोपी (अपीलकर्ता) सुबह जल्दी श्रम कार्य के लिए घर से निकल गया था; इसके अलावा, मृतक सुबह लगभग 10:30 बजे स्कूल के पास एक दुकान से खरीदारी करने गया था। उसने यह भी कहा कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उसके शरीर और चेहरे पर चोटें पहुंचाईं। जब कुछ स्कूली बच्चों ने उसे (डीडब्ल्यू 1) सूचित किया, तो वह स्नेहलता (मृतक) को अस्पताल ले गई लेकिन उसने रास्ते में दम तोड़ दिया और वह वापस लौट आई। आगे यह तर्क दिया गया है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि ड्राफ्ट्समैन द्वारा तैयार की गई साइट प्लान में कर्म का घर (PW7) नहीं दिखाया गया था, इसलिए मौके पर उसकी उपस्थिति संदिग्ध थी। इसके अलावा, घटना के तुरंत बाद कर्मा (पीडब्लू 7) खेतों में गया और पुलिस द्वारा 24.07.2008 को उसका बयान दर्ज नहीं किया गया था, लेकिन 25.07.2008 को दर्ज किया गया था, जिससे घटना के समय उसकी उपस्थिति संदिग्ध हो जाती है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता को फंसाया गया है क्योंकि वह शिकायतकर्ता द्वारा उठाए गए 50,000 रुपये की मांग को पूरा करने में असमर्थ था। इसके अलावा, अपीलकर्ता का अपनी पत्नी को मारने का कोई मकसद नहीं था और अपीलकर्ता अपनी पत्नी स्नेह लाला (मृतक) और बच्चों के साथ खुशी से रह रहा था।

(30) जवाब में, राज्य के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि मामला पूरी तरह से अपीलकर्ता के खिलाफ बनाया और स्थापित किया गया है। उसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सही ढंग से दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है। अभियोजन का मामला पूरी तरह से बनारसी - शिकायतकर्ता (PW5), कर्मा (PW7), जो अपीलकर्ता का पड़ोसी है; इसके अलावा, सुभाष (पीडब्लू 11), जो बनारसी (पीडब्लू 5) को स्नेहलता के घर बालू गांव ले आया, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। डॉ. जगतार सिंह (PW3) के बयान में चिकित्सा साक्ष्य, यह कहा गया है, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मौत हत्या थी।

(31) हमने पक्षों के लिए विद्वान वकीलों की दलीलों पर अपना विचारशील विचार किया है और उनकी सहायता से मामले के रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

(32) जैसा कि पहले ही देखा गया है, यह घटना 23.07.2008 को अपीलकर्ता के घर पर 08:00-09:00 बजे के बीच हुई थी। एफआईआर (पूर्व पी 19) 24.07.2008 को लगभग 12:30 बजे दर्ज की गई थी। उक्त रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करनाल को दिनांक 24-07-2008 को अपराह्न लगभग 0250 बजे प्राप्त हुई थी। अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप है कि उसने स्नेहलता (मृतक) के मुंह और चेहरे पर 'गंडासी' वार किए। अपीलकर्ता और स्नेहलता (मृतक) की शादी को दस साल हो चुके थे। उनके तीन बच्चे थे। बनारसी-शिकायतकर्ता (पीडब्लू 5) की गवाही में यह आया है कि नफे सिंह (अपीलकर्ता) अक्सर शराब पीने के बाद उसे पीटता था। उन्होंने (PW5) ने यह भी कहा कि नफे सिंह (अपीलकर्ता), उनका दामाद, एक शराबी था और जब वह उसे पीने से रोकती थी तो वह उसकी बेटी को पीटता था। उनकी बेटी ने उन्हें अपीलकर्ता द्वारा दी गई धमकियों के बारे में सूचित किया था जब उसने उन्हें पीने से रोका था। उन्होंने (पीडब्लू 5) ने नफे सिंह (अपीलकर्ता) को मनाने की कोशिश की थी, हालांकि, उन्होंने अपनी उपस्थिति में अपनी बेटी को मारने की धमकी दी थी। बली राम का पुत्र कर्मा (PW7) अपीलकर्ता का पड़ोसी है। उसने कहा कि वह दिनांक 23-07-2008 को रात्रि लगभग 08:00/08:30 बजे अपने घर पर उपस्थित था। उनका घर नफे सिंह (अपीलकर्ता) के घर से सटा हुआ था। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता को शराब पीने की आदत थी और उसकी पत्नी उसके पीने का विरोध करती थी और उसे शराब पीने से रोकती थी। इस पर अक्सर झगड़ा होता था। आरोपी (अपीलकर्ता) घटना के दिन अपने घर पर मौजूद था और अपनी पत्नी के साथ झगड़ा कर रहा था। उन्होंने (पीडब्लू 7) आरोपी (अपीलकर्ता) के घर से जोर से रोने की आवाज सुनी। उसके घर और आरोपी (अपीलकर्ता) के घर के बीच एक दीवार है। दीवार के ऊपर से, उसने आरोपी (अपीलकर्ता) को अपनी पत्नी - स्नेहलता (मृतक) को घायल करते देखा। यह कहा गया है कि आरोपी (अपीलकर्ता) ने स्नेहलता के मुंह पर वार किया और उसके मुंह और गाल पर चोटें आईं। शोर सुनकर उनका पड़ोसी मौके पर पहुंचा। इसके बाद स्नेहलता जमीन पर गिर गईं और वह अपने बुलावे पर अपने मालिक के घर गए। कहा जाता है कि नफे सिंह आरोपी घटना स्थल पर मौजूद था। जिरह में, उनके बयान से कुछ भी ठोस नहीं निकाला जा सका। ऐसा कहा जाता है कि वह सुखदेव सिंह के लिए काम करते थे, जिनके खेत उनके घर से 3-4 किले (एकड़ में दूरी की माप) थे। वह खेतों में पानी देने के लिए मोटर ऑन करने सुखदेव सिंह के खेतों में गया। यह कहा गया है कि उसकी उपस्थिति में, आरोपी (अपीलकर्ता) ने जमीन पर गिरने वाले मृतक को 'गंडासी' प्रहार किया। जमीन पर गिरने से उसकी मौत हो गई। उन्होंने मृतक की जांच नहीं की थी। कहा जाता है कि 'गंडासी' का झटका दाहिने गाल पर लगाया गया था। नफे सिंह (अपीलकर्ता) मृतक के बगल में खड़ा था। वह मृतक से करीब आधा फीट की दूरी पर था। 'गंडासी' लकड़ी के हैंडल के साथ तेज धार वाली थी। यह लगभग 6-7 इंच लंबा था। वह वहां से जा चुका था और वह यह नहीं बता सका कि स्नेहलता का कोई रिश्तेदार पहुंचा या नहीं। वह अगली सुबह वापस आया। वह मौके पर नहीं था इसलिए वह यह नहीं बता सका कि पुलिस पहुंची या नहीं। उनकी मौजूदगी में सुबह पुलिस पहुंची और उन्होंने पुलिस से मुलाकात की। पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया यह सही है कि 24.07.2008 को जब वह पहली बार पुलिस के पास गया, तो उसने पुलिस को नहीं बताया। यह कहना गलत है कि उसने घटना नहीं देखी और गांव में पार्टी गुट के कारण आरोपी (अपीलकर्ता) को मामले में झूठा शामिल किया था। बताया जाता है कि पुलिस ने उसके बयान पर उसके हस्ताक्षर लिए थे। यह कहना गलत बताया गया है कि वह झूठी गवाही दे रहे थे।

(33) यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बली राम का पुत्र कर्मा (PW7) एक स्वतंत्र गवाह है और घटना के समय उसकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता क्योंकि वह अपीलकर्ता का पड़ोसी है। उन्होंने (PW7) अपने पड़ोसी के घर से एक तेज आवाज सुनी और बीच की दीवार को देखकर उन्होंने आरोपी नफे सिंह (अपीलकर्ता) को अपनी पत्नी स्नेहलता को 'गंडासी' से घायल करते देखा।

(34) अपीलकर्ता पार्टी गुट के आधार पर अपने (पीडब्लू 7 के) साक्ष्य को छूट देना चाहता है और इस तथ्य से भी कि उसने 25.07.2008 को पुलिस को अपना बयान दिया था, न कि 24.07.2008 को, जब पुलिस 23.07.2008 को घटना के बाद अपीलकर्ता के घर पर बालू गांव आई थी।

(35) यह ध्यान दिया जा सकता है कि अपीलकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत कर्मा (पीडब्लू 7) के बारे में अपने बयान में घटना को देखने के बारे में सवाल किया, उसने बस इतना कहा कि यह गलत था। वह यह नहीं बताता कि कर्मा (पीडब्लू 7) पार्टी गुट के कारण झूठी गवाही दे रहा था। यह अपीलकर्ता की मां बचाव पक्ष की गवाह मेशर देवी (DW1) की गवाही में है, जिसने कहा कि कर्मा (PW7) पार्टी गुट के संबंध में उसके बेटे के प्रति शत्रुतापूर्ण था। उनका बेटा सरपंच चुनाव में उम्मीदवार का समर्थन कर रहा था, जिसका कर्मा (पीडब्लू 7) विरोध कर रहा था। कर्मा (पीडब्लू 7) की जिरह के दौरान, यह उसके सामने रखा गया था कि उसने घटना नहीं देखी और गांव में पार्टी गुट के कारण आरोपी (अपीलकर्ता) को झूठा शामिल किया था।

(36) वास्तव में, यह कर्मा (PW7) पर नहीं रखा गया था कि अपीलकर्ता सरपंच चुनाव में उम्मीदवार का समर्थन कर रहा था, जिसका वह (PW7) विरोध कर रहा था। इसलिए, यह रुख कि कर्मा (पीडब्लू 7) का साक्ष्य इस खाते पर संदिग्ध है, बहुत अधिक परिणाम नहीं है क्योंकि उनके बयान को मुख्य रूप से इस कारण से छूट देने की मांग की गई है कि उन्होंने गांव में पार्टी गुट के कारण अपीलकर्ता के खिलाफ गवाही दी थी। यह स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता की ओर से आधे-अधूरे मन से किया गया प्रयास है क्योंकि पार्टी गुट के संबंध में कुछ भी विशेष रूप से जिरह में उसके सामने नहीं रखा गया था। यह सर्वविदित है कि एक पक्ष को अपने प्रतिद्वंद्वी के गवाह के सामने अपने मामले का इतना अधिक हिस्सा रखना है क्योंकि यह उस विशेष गवाह से संबंधित है और यदि ऐसा कोई प्रश्न नहीं रखा गया था, तो न्यायालय को यह मानना होगा कि गवाह के खाते को स्वीकार कर लिया गया है। यदि यह सुझाव देने का इरादा है कि विचाराधीन गवाह किसी विशेष बिंदु या परिस्थिति के संबंध में सच नहीं बोल रहा था, तो उसका ध्यान उसी पर आकर्षित किया जाना चाहिए ताकि उसे स्पष्टीकरण देने का अवसर मिले।

(37) कर्मा (पीडब्लू 7) की गवाही पर भरोसा न करने के लिए जो दूसरा आधार लिया गया है, वह यह है कि उसने पुलिस को अपना बयान नहीं दिया था जब वह 23.07.2008 को एक दिन पहले हुई घटना के बाद 24.07.2008 को बालू गांव आया था।

(38) इस पहलू को वास्तव में कर्मा (PW7) ने अपनी जिरह में स्पष्ट किया है। उन्होंने (पीडब्लू 7) ने अपने मुख्य परीक्षा में कहा कि घटना के बाद वह अपने नियोक्ता के घर अपने कॉल पर गए थे। जिरह में यह बताया गया है कि वह सुखदेव सिंह के लिए काम करता है, जिसका खेत उसके घर से 3-4 किलों की दूरी पर था। वह खेतों में पानी भरने के लिए मोटर ऑन करने के लिए सुखदेव सिंह के खेत में गया। उन्होंने कहा कि उनकी उपस्थिति में पुलिस सुबह यानी 24.07.2008 की सुबह घटना स्थल पर पहुंची। वह पुलिस से मिला और पुलिस द्वारा दिनांक 25-07-2008 को उसका बयान दर्ज किया गया। यह सही है कि 24.07.2008 को जब वह पहली बार पुलिस के पास गया तो उसने पुलिस को नहीं बताया। यह कहना गलत बताया गया है कि वह इस घटना का गवाह नहीं था। इसलिए, यह पुलिस है जिसने 25.07.2008 को उसका बयान दर्ज किया, यानी एक दिन बाद जब वह 24.07.2008 को घटना स्थल पर गया। इसका शायद ही कोई परिणाम होता है क्योंकि पुलिस अपनी

गति से जांच करती है और एक गवाह भले ही सूचित करता है कि उसने घटना देखी थी, पुलिस यह पता लगाने के लिए कुछ स्थानीय पूछताछ करती है कि क्या वह एक सच्चा गवाह था या अभी-अभी पेश किया गया था। इसके अलावा, पुलिस भी मामले की जांच करने और गवाहों के बयान दर्ज करने में अपना समय लेती है। इसलिए, पुलिस द्वारा कर्मा (PW7) के बयान को दर्ज करने में एक दिन की देरी किसी भी तरह से उसके प्रत्यक्षदर्शी के बयान को प्रभावित नहीं करती है, खासकर जब कुछ भी नहीं दिखाया गया है कि वह अपीलकर्ता के प्रति शत्रुतापूर्ण था।

(39) तथ्य यह है कि कर्मा का घर (PW7) साइट प्लान (Ex. P14) में अपीलकर्ता के घर से सटा हुआ नहीं दिखाया गया है, यह भी बहुत अधिक परिणाम का नहीं है। वीर शक्ति सिंह, ईएचसी नंबर 8, ड्राफ्ट्समैन, पुलिस लाइन्स, करनाल (पीडब्लू 4) ने स्केल साइट प्लान (पूर्व पी 14) तैयार किया। उन्होंने कहा कि एसएचओ, थाना निसिंग के कहने पर वह 27.07.2008 को गांव बालू गए थे। बनारसी दास - शिकायतकर्ता (PW5) की ओर इशारा करने पर, उन्होंने (PW4) मोटे नोट तैयार किए। उन्होंने (PW4) ने 30.07.2008 को रफ नोट्स के आधार पर स्केल साइट प्लान (Ex. P14) तैयार किया। सीमांत नोट मौजूदा स्थिति के अनुसार थे। इस्तेमाल किया गया पैमाना 1 इंच = 16 फीट था। साइट प्लान (Ex. P14) पर उनके हस्ताक्षर हैं। वह एक प्रशिक्षित ड्राफ्ट्समैन थे।

(40) जिरह में, उन्होंने (PW4) ने कहा कि वह अपने बयान की तारीख पर अपना डिप्लोमा नहीं लाए थे; इसके अलावा, वह रफ नोट नहीं लाया था और वह उसका उत्पादन भी नहीं कर सकता था। बताया जाता है कि घटना स्थल पर कई लोग जमा हो गए थे। यह सुझाव देना गलत बताया गया है कि उसने घटना स्थल का दौरा किए बिना साइट प्लान (Ex. P14) तैयार किया था। यह कहना गलत बताया गया है कि वह झूठी गवाही दे रहे थे।

(41) वीर शक्ति सिंह ईएचसी, ड्राफ्ट्समैन (पीडब्लू 4) की जिरह नहीं की गई क्योंकि कर्मा के घर (पीडब्लू 7) को साइट प्लान (पूर्व पी 14) में नहीं दिखाया जा रहा है। किसी भी मामले में, साइट प्लान (Ex. P14) के अवलोकन से पता चलता है कि उत्तर में, नफे सिंह (अपीलकर्ता) के घर से सटे, बली राम के पुत्र सत्यवान का घर है, जिसे दिखाया गया है। कर्मा (PW7), बली राम का पुत्र भी है और इसलिए, वह (PW7) सत्यवान का भाई है, जिसका घर उत्तरी दिशा में अपीलकर्ता के घर से सटा हुआ दिखाया गया है।

(42) मामले के जांच अधिकारी एसआई दिलबाग सिंह (पीडब्लू 12) द्वारा तैयार किए गए साइट प्लान (पूर्व पी 26) में भी यही स्थिति है, यानी बली राम के पुत्र सत्यवान का घर उत्तरी दिशा में अपीलकर्ता के घर से सटा हुआ दिखाया गया है। एसआई/एसएचओ इलम सिंह (पीडब्लू 13) ने आरोपी - नफे सिंह (अपीलकर्ता) के प्रकटीकरण बयान (पूर्व पी 21) के आधार पर 'गंडासी' की बरामदगी के संबंध में साइट प्लान (Ex.P28) तैयार किया। उक्त खुलासे के बयान पर पुलिस दल बालू गांव पहुंचा और आरोपी के सीमांकन पर उसके घर से लोहे की 'पेटी' (डिब्बा) के पीछे से 'गंडासी' (पूर्व पी 13) बरामद किया गया। साइट प्लान (निर्गमन पृ.28) में उत्तरी दिशा में अपीलार्थी के घर से सटा हुआ दिखाया गया है। बलि राम का पुत्र सत्यवान, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, कर्मा (PW7) का भाई है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि कर्मा (PW7) अपीलकर्ता - नफे सिंह का पड़ोसी नहीं था और घटना के समय उपस्थित नहीं था।

(43) इन परिस्थितियों में, कर्मा (पीडब्लू 7) के प्रत्यक्षदर्शी खाते पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है, जो अपीलकर्ता का पड़ोसी है क्योंकि उसका घर अपीलकर्ता के घर से सटा हुआ था और एक प्राकृतिक गवाह था; इसके अलावा, जब घटना हुई थी तब वह अपने घर पर मौजूद था

और उसने घरों के बीच की दीवार को देखकर घटना को देखा था। इसके अलावा, भले ही उसके साथ दुश्मनी का आरोप लगाया गया हो, यह केवल एक आधा-अधूरा प्रयास है और ऐसी परिस्थितियों में शामिल नहीं है ताकि उसके बयान को छूट दी जा सके।

(44) अपीलकर्ता के विद्वान वकील का दूसरा तर्क यह है कि अपीलकर्ता के लिए अपनी पत्नी स्नेहलता की हत्या करने का कोई मकसद नहीं था। मकसद, जैसा कि सर्वविदित है, अपराधी के दिल और दिमाग में छिपा होता है और यह पता लगाना मुश्किल है कि जब उसने आपराधिक कृत्य किया तो व्यक्ति के दिल और दिमाग में क्या था। केवल अपराधी ही जानता है कि उसने एक विशेष तरीके से क्यों और कैसे कार्य किया। वर्तमान मामले जैसे मामले में, जहां प्रत्यक्ष सबूत हैं, मकसद एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाएगा। मकसद को आसपास की परिस्थितियों से आंका जाना है जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध हैं। जब प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं, तो मकसद महत्वहीन हो जाता है।

(45) रिकॉर्ड पर साक्ष्य जिसमें शिकायतकर्ता - बनारसी (PW5), उसके भतीजे सुभाष (PW11) और प्रत्यक्षदर्शी कर्मा (PW7) का बयान शामिल है; इसके अलावा, डॉ. जगतार सिंह (PW3) का हलफनामा Ex. P5 जिसमें अपीलकर्ता द्वारा अपनी पत्नी - स्नेहलता को दी गई चोटों के कारण मृत्यु के कारण और अपीलकर्ता के प्रकटीकरण बयान (Ex. P21) पर 'गंडासी' (Ex. P13) की बरामदगी और FSL रिपोर्ट (Ex. PX) 'गंडासी' पर रक्त के सीरोलॉजिकल विश्लेषण के साथ जो मानव होने के लिए बरामद किया गया था, का उल्लेख करता है, स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता के अपराध को स्थापित करने के लिए जाता है और उसने अपनी पत्नी - स्नेहलता की हत्या की है। इन परिस्थितियों में, अपीलकर्ता को दोषी ठहराने और सजा सुनाने वाले विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, करनाल के निर्णय और आदेश को खारिज करने के लिए कोई सामग्री नहीं है।

(46) पूर्वगामी कारणों से, अपील में कोई योग्यता नहीं है और तदनुसार इसे खारिज कर दिया जाता है।

शुबरीत कौर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रश्मीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

गुरुग्राम, हरियाणा